न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 194/2016 **दायरा दिनांक : 22.04.2016**

उनवान

रामचरण उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री छीतर लाल, जाति कोली, निवासी बोरेडी, तहसील व जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रोशन पुत्री नाम नामालूम कथित पुत्री राधेश्याम, जाति कोली, निवासी बोरेडी, तहसील व जिला बारां

2– राजस्थान सरकार जर्ये तसीलदार, बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 17.11.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 63/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम बोरेडी तहसील बारां में खसरा नम्बर 574 रकबा 2.34 हेक्टर आराजी स्थित है जिसमें वादी का 1/2 और प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है । आराजी वादी और उसके भाई राघेश्याम के खाते की थी । राधेश्याम का वर्ष 1996 को देहान्त हो चुका है । राधेश्याम की कोई औलाद नहीं थी । राधेश्याम की विवाहिता पत्नी उनके जीवनकाल में ही फोत हो गयी थी, इस कारण 1995 में निर्मला नाम की औरत से नाता किया था और प्रतिवादी नम्बर 1 उनके साथ गेलड आयी थी । 1997 में निर्मला भी फोत हो चुकी है । प्रतिवादी नम्बर 1 वादी के पास ही रही । फोती इंतकाल में राधेश्याम के स्थान पर पुत्री रोशन का नाम दर्ज हुआ है । प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ है वह कानून के खिलाफ है क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 1 राधेश्याम की जाईन्दा पुत्री नहीं है वरन निर्मला के साथ गेलड आयी थी । राधेश्याम का सगा भाई होने के कारण वादग्रस्त आराजी में वादी का ही हक बनता है । काश्त भी वादी कर रहा है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी को वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी नम्बर 1 के 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नम्बर 1 उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की और दिनांक 09.03.2016 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट का 1/2 हिस्सा दर्ज है । आराजी राधेश्याम की थी । राधेश्याम के कोई औलाद नहीं थी । रेस्पोडेंट निर्मला के साथ गेलड

आयी थी । निर्मला भी 1997 में फोत हो चुकी है । राधेश्याम की सम्पत्ति पर पहला अधिकार भाई होने के नाते अपीलांट का है । अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश की गई थी, इसके बावजूद दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी राधेश्याम के खाते में दर्ज थी । राधेश्याम की ला औलाद मृत्यु हुई है । प्रतिवादी निर्मला के साथ गेलड आयी थी । निर्मला की भी मृत्यु हो चुकी है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादी वादग्रस्त आराजी के खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2064–67 एक्जीविट 1 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी में वादी और प्रतिवादी सहखातेदार दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 100 की प्रमाणित प्रति एक्जीविट 2 के रूप में पत्रावली में सलंग्न है जिसके अनुसार राधेश्याम का फोती इंतकाल उनकी नाबालिग पुत्री रोशन के नाम खोला गया है । इसके अलावा बयान वादी पी डब्ल्यू 1, रेवडी लाल पी डब्ल्यू 2 कराये गये हैं । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर

एक मौका पर्चा दिनांक 22.02.2016 भी सलंग्न है जिसमें यह अवगत करवाया गया है कि राधेश्याम की दूसरी पत्नी से एक संतान पुत्री रोशन है, इसके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है ।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो रिपोर्ट पटवारी सलंग्न है उसके अनुसार राधेश्याम की पुत्री रोशन है । अपीलांट वादी ने इसके विपरीत अन्य कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि रोशन राधेश्याम की पुत्री नहीं है । उनके द्वारा यह भी अवगत नहीं कराया गया है कि रोशन के पिता यदि राधेश्याम नहीं थे तो उनके पिता कौन थे, कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा स्कूल का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति या मतदाता पहचान पत्र की प्रति आदि पेश नहीं की है जिससे यह प्रमाणित हो कि वह राधेश्याम की पुत्री नहीं है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा